क्या आप जानते हैं?

- महिला की सहमति के बिना कि गई कोई भी यौन क्रिया बलात्कार है!
- यौन उत्पीड़न की शिकायत को दर्ज़ कराने में विफल रहने पर संबंधित अधिकारी को कारावास हो सकता है!!
- पीछा करना, दर्शनरति, और मौखिक यौन हमला करने पर भी कारावास हो सकता है!!!

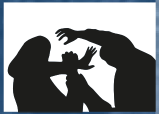

इसे संभव बनाया है

- **कांग्रेस** पार्टी के इस दृढ़ विश्वास ने कि महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा अनुलंघनीय विचार हैं।
- **कांग्रेस** पार्टी की इस चिंता ने कि देश में बिना किसी भय के यौन हमले हो रहे हैं।
- महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए कांग्रेस पार्टी की वचनबद्धता ने।

CONGRESS

"हम महिलाओं पर अकथनीय कष्टदायी निकृष्ट सामाजिक सोच को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी महिलाओं के पूर्ण सशक्तीकरण के संघर्ष में आगे रही है। हम इस अभियान को जारी रखेंगे। हमारे देश की प्रत्येक महिला और बालिका को सुरक्षित और संरक्षित महसूस करने और हर प्रकार से पूर्ण समानता का अधिकार है।"

– श्रीमती सोनिया गांधी

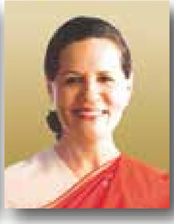

आपराधिक कानून (संशोधन) कानून, 2013

- महिला की सहमति के बिना की गई कोई भी यौन क्रिया अब कानूनी तौर पर बलात्कार मानी जाएगी।
- यौन अपराध दर्ज़ करने से इंकार करने वाले किसी भी सरकारी अधिकारी को दो वर्ष का कारावास होगा और उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।
- यौन पीड़िता का उपचार करने से इंकार करने वाला अस्पताल कर्मचारी एक वर्ष की कैद और जुर्माने का भागी होगा।
- यौन हमलावरों पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है।

इनमें शामिल हैं :

1. **तेज़ाब फेंकना** : पाँच से दस वर्ष (और पीड़िता को मुआवज़े के रूप में दस लाख रुपये का जुर्माना)।
2. **बलात्कार** : जुर्माना सहित कम से कम सात वर्ष कारावास (अधिकतम आजीवन कारावास तक)।
3. **सामूहिक बलात्कार** : दस वर्ष का (या आजीवन) कारावास।
4. **अधिकारसंपन्न लोगों द्वारा बलात्कार** : पाँच से 10 वर्ष का कारावास (या आजीवन कारावास)
5. **तलाकशुदा पत्नी का बलात्कार** : दो से सात वर्ष के कारावास का दंड हो सकता है।
6. **बलात्कार पीड़िता की मृत्यु** : कम से कम 20 वर्ष की कैद (या आजीवन कैद या मृत्युदंड)
7. **किसी महिला का पीछा करना,** निर्वस्त्र करना, दर्शनरति और किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न के लिए भी कैद हो सकती है।
8. **मौखिक यौन हमलों** के लिए भी एक से पाँच वर्ष तक की कैद हो सकती है।

महिलाओं की खरीद–फरोख्त करते, उनके श्रम का दोहन करते, या उनके अंगों का व्यापार करते पकड़े जाने वाले व्यक्ति को सात से दस वर्ष की कैद हो सकती है।

CONGRESS